

11/12/23

आवेदन क्र. 3501

अधिकांश मूल वाद को विद्वे करने से मूल
वाद को जरिफे विद्वेवल स्वादिज किया जा चका है
लिहाजा मूल वाद खारिज होने से मूल वाद के
साथ प्रस्तुत इक्ट प्राबना पठ पोथणीय नहीं होने
से खारिज किया जाता है पत्रबत्ती कुदमत
मुफार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
सांजत, जिला-पाली